उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

संख्या- 28/2018/ 916 /अडतीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(।।)

लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के शासनादेश संख्या-22/2018/827/अड्तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(।।), दिनांक 09 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रू0 1897.33 लाख (रूपये अटठारह करोड सतानबे लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तथा सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर-1 (।।) की शर्तो में **'स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।'** अंकित है।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-22/2018/827/अड्तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0 (।।), दिनांक 09 मार्च, 2018 के प्रस्तर-1 (।।) में अंकित शर्त को संशोधित करते हुए निम्नवत पढा जाय:-

स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। धनराशि आहरित कर जिस खाते में जमा की जायेगी उस खाते में जमाराशि पर अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग/ वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

3- शासनादेश संख्या-22/2018/827/अड्तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(।।), दिनांक 09 मार्च, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 ई-2-380/दस-2018 दिनांक 23 मार्च, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

(रमेश चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

संख्याः 28 /2018/916 (1)/अड्तीस-5-2018-27 बजट/2017 टी0सी0(।।), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव (वाटर), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड्, नई दिल्ली को उनके स्वीकृति आदेश आदेश संख्या- डब्लू-11020/4/2017/डब्लू क्यू/ 118, दिनांक 18 जनवरी, 2018, के क्रम में।

(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।

(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।

(9) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।

(10)वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।

(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।